(169)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1334–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 144/अपील/2009–10.

.....

1– भागीरथ पिता श्री हिन्दुसिंह बागरी
2– जादुसिंह पिता श्री हिन्दुसिंह बागरी
3– चम्पालाल पिता श्री हिन्दुसिंह बागरी
निवासी गण ग्राम सेजवानी तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– दुलेसिंह पिता हिन्दुसिंह बागरी
2 –मदन पिता श्री हिन्दुसिंह बागरी
निवासी गण ग्राम सेजवानी तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री एच0एन0फड़के, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री एस0के0गंगवाल, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 31/8/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार बेटमा के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सेजवानी तहसील देपालपुर जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 284/5 रकबा 0.445 हेक्टेयर तथा सर्वे नम्बर 284/6 रकबा 0.344 हेक्टेयर भूमि उभयपक्ष के शामिल खाते की भूमि है और उभयपक्ष आपस में भाई है अतः भाईयों से उसका हिस्सा दिलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 13–2–09 को आदेश पारित कर उभयपक्ष के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–12–09 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–2–12 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पूर्व में मौखिक विभाजन अनुसार प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को दस दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपर आयुक्त को संहिता की धारा 49(3) के अन्तर्गत प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं था, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि बाह्य मानकर अपील निरस्त की गई थी और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त नहीं किया गया है अतः अवधि के बिन्दु का बिना निराकरण किये गुणदोष पर आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित किया गया है इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा होकर त्रण पुस्तिका भी बन चुकी है और उभयपक्ष अपनी अपनी भूमि पर काबिज है इसके बावजूद भी प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 49(3) के अनुसार ही विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 13–2–2009 निरस्त किया गया है और विधिनुसार बटवारा आवेदन पत्र की नवीन सुनवाई की जाकर निराकृत करने के आदेश दिये गये हैं, अतिरिक्त साक्ष्य के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किये जाने के कारण ही अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया गया है और उनके समक्ष समयावधि के बिन्दु पर आवेदकगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में बटवारा हो चुका है । इस तथ्य को आवेदकगण अच्छी तौर से जानते है और उनके द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर अनावेदक का अँगूठा लगवा लिया गया है ।

(4) आवेदकगण द्वारा पटवारी से मिलकर अपनी मंशा के अनुसार फर्द बटवारा तैयार कराई गई है जो निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई

है । तर्क के समर्थन में 1996 आरएन 33, 1995 आरएन 23 एवं 2005 आरएन 184 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह सही है कि संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी अपर आयुक्त को प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं करना चाहिए था, परन्तु प्रकरण के तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है, इसलिए उनका आदेश निरस्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है । अतः विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपर आयुक्त के निर्देशों के पालन में कार्यवाही करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर